## <u>न्यायालयः</u>— <u>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला</u>—अशोकनगर (पीठासीन अधिकारीः—जफर इकबाल)

## <u>फाइलिंग नंबर 235103003252011</u> <u>दांडिक प्रकरण क.—165/11</u> संस्थापित दिनांक—02.05.11

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :		
आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।		
अभियोजन		
विरुद्ध		
01—रमेश पुत्र गन्नू	चिडार उम्र 50	साल निवासी लडेरा
मोहल्ला प्राणपुर।		
		आरोपी
राज्य द्वारा	:– श्री सुदीप	शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:- श्री के एन	भार्गव अधिवक्ता।

## —ः <u>निर्णय</u>ः— (आज दिनांक 11.03.2017 को घोषित)

- 01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत 4''क'' द्यूत कीडा अधिनियम के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

- 03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी एसएसगौर ने दिनांक 29.01.11 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध की कि घटना दिनांक को वह कस्बा चंदेरी पहुंचा बाद ग्राम प्राणपुर पहुंचा तो जर्ये मुखिर सूचना मिली कि रमेश चिढार प्राणपुर का लोगों को प्रलोभन देकर स्कूल के पीछे सटटा अंक पर्ची लिख रहा है और कहता है कि एक रुपये का अंक लगाने पर सटटा अंक खुलने पर 90 रुपये मिलेगा, भाग्य का खेल है। उक्त झल की तस्दीक हेतु गवाहों को साथ लेकर मय फोर्स के बताए स्थान पर पहुंचे देखा कि रमेश पुत्र गन्नू चिढार लोगों की भीड लगाकर सटटा अंक पर्ची लिख रहा था, दिबस दी तो आम जनता के लोग भाग गए, रमेश को पकड लिया। चेक किया तो पेंट की दांहिनी जेब से नगदी 190 रुपये एवं एक सटटा अंक लिखा पाना, एक लीड पैन मिला, सटटा उपकरण होने से मौके पर सामान समक्ष गवाहों के जप्त कर पंचनामा बनाया एवं आरोपी को गिरफतार किया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक 56/11 के अंतर्गत 4"क" द्यूत कीडा अधिनियम के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 04— प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध 4"क" द्यूत कीडा अधिनियम के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया आरोपी ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।
- 05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
  - 1. क्या आरोपी ने दिनांक 29.01.11 को समय 14.00 बजे ग्राम प्राणपुर मिडिल स्कूल के पीछे सटटा अंक पर्चियों से सटटा अंक लिखकर हारजीत का दांव लगाकर सटटा खिलवाया ?

## <u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

06— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 मोजुददीन, अ.सा. 02 नरेंद्र जैन, अ.सा. 03 राजेंद्र कुमार, अ.सा. 04 श्यामिसंह गौर की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 01 मोजुददीन ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को नहीं जानता। उक्त साक्षी के अनुसार उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसके समक्ष आरोपी से प्रपी 01 के अनुसार जप्ती की कार्यवाही की गई थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसके समक्ष आरोपी से 190 रुपये नगद एवं सटटा पर्ची एवं पाना जप्त किया गया था। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि उसके समक्ष आरोपी को गिरफतार किया गया था। अ.सा. 02 नरेंद्र जैन ने भी अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को नहीं जानता। उक्त साक्षी के अनुसार अभियुक्त के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी के अनुसार उसके समक्ष आरोपी से कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसके समक्ष आरोपी से सटटा पर्ची, पाना, 190 रुपये नगद जप्त हुए थे।

08— अ.सा. 03 राजेंद्र कुमार द्वारा प्रकरण में साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए जाना बताया गया है। अ.सा. 04 श्यामिसंह गौर ने अपने कथन में बताया है कि वह दिनांक 29.01.11 को मुखविर की सूचना के आधार पर घटनास्थल पर पहुंचा था जहां पर आरोपी सटटा खिला रहा था। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी से सटटा पाना, लीड पैन एवं नगद राशि जप्त की गई थी। उक्त साक्षी ने उक्त कार्यवाही प्रपी 01 के अनुसार करना बताया है तथा कहा है कि प्रपी 01 के सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी के अनुसार उसने आरोपी को प्रपी 02 के अनुसार गिरफतार किया था तथा थाना वापसी पर प्रपी 05 की रिपोर्ट लेखबद्ध की थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसने सटटा लिखवाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही इसलिए नहीं की,

क्योंकि वे भाग गए थे।

अभियोजन द्वारा अभिलेख पर जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि घटना के दोनों चक्षुदर्शी साक्षी पक्षद्रोही हो गए हैं। अ.सा. 01 एवं अ.सा. 02 ने घटना की कोई जानकारी न होना व्यक्त किया है। उपरोक्त साक्षीगण ने जप्ती पत्रक प्रपी 01 की कार्यवाही से भी इंकार किया है। इस प्रकार प्रकरण में जप्ती की कार्यवाही प्रमाणित नहीं होती। प्रकरण में मात्र अ.सा. 04 की ही साक्ष्य शेष रह जाती है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष देना है कि क्या उक्त अपराध अपराधी द्वारा कारित किया गया। उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी द्वारा न केवल प्रकरण में जप्ती की कार्यवाही की गई है, बल्कि उक्त साक्षी द्वारा प्रकरण में रिपोर्ट भी लेखबद्ध की गई है। उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी द्वारा वापसी सान्हा प्रस्तुत किया गया है, किंतु उक्त साक्षी द्वारा अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जोकि उक्त घटना दिनांक को कस्बा भ्रमण पर उसके साथ गए थे। उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षी की साक्ष्य का अनुसमर्थन अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य से नहीं हो रहा है। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन साक्ष्य की संपुष्टि अन्य किसी साक्ष्य से नहीं हो रही है। मात्र अ.सा. 04 की साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष दे देना कि उक्त अपराध आरोपी द्वारा कारित किया गया है, समीचीन प्रतीत नहीं होता, वह भी तब जबिक प्रकरण में जप्ती पंचनामा प्रपी 01 की कार्यवाही प्रमाणित नहीं हुई है। इस प्रकार अभियोजन अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करना चाहिए। उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए 4''क'' द्यूत कीडा अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

- 11— प्रकरण में जप्तशुदा 190 रुपये नगदी राजसात किए जाते हैं एवं एक सटटा अंक लिखा पाना एवं एक लीड पैन मूल्यहीन होने से अपीलावधि पश्चात् नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन हो।
- 12— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)